उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 41584–88 /वसूली/2017–18 दिनाँकः 07.03.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक **अनुस्मारक/महत्वपूर्ण**

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र सं0 41568–72/वसूली/2017–18 दि0 06.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, उक्त पत्र की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई थी कि दिनॉक 13.03.2018 अथवा 14.03.2018 को आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय द्वारा बैंक के दयों की वसूली समीक्षा बैठक सम्भावित है। जिसमें प्रत्येक शाखा के 50 बड़े बकायेदारों की समीक्षा किये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय द्वारा दिनॉक 13.03.2018 को बैंक मुख्यालय पर बैंक देयों की वसूली समीक्षा बैठक की तिथि निर्धारित की गई है।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी शाखा के निर्धारित प्रारूप पर अधोलिखित विवरण दिनॉक 08.03.2018 की सांय तक मण्डलीय कार्यालय को प्रेषित करें तथा मण्डलीय शाखा प्रबन्धक समस्त विवरण संकलित करते हुए दि0 09.03.18 को दोपहर 12:00 बजे तक वसूली अनुभाग की ई0मेल0आई डी0 **upsgvbrec@gmail.com** पर प्रेषित करें–

1. एक लाख से बड़े बकायेदारों का विवरण पत्र टिप्पणी कालम सहित एवं रहित (दि0 28.02.2018 तक के आधार पर)
2. समस्त बकायेदारों का विवरण पत्र(दि0 28.02.18 तक के आधार पर)।
3. एक लाख से बड़े, शून्य वसूली वाले ऋण खाते एवं भूमि विक्रित वाले बकायेदारों का विवरण पत्र (दि0 28.02.2018 तक के आधार पर)।
4. प्रत्येक शाखा के 50 बडे बकायेदारों की सूची निर्धारित प्रारूप पर।
5. आर0सी0 एवं 95 'क' की कृषकवार/अमीनवार सूची निर्धारित प्रारूप पर।(जिनके द्वारा अभी तक सूची नही भेजी गई है)।

उक्तानुसार वांछित सूचनायें अनिवार्य रूप से निर्धारित समय के अन्तर्गत प्रेषित की जाय अन्यथा की दशा मे सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एवं मण्डलीय शाखा प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाय।

ह0/–
(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय शाखा प्रबन्धक, उ0 प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0 उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वह उक्तानुसार सूचनायें अपने मण्डल से प्राप्त कर संकलित करते हुए तत्काल मुख्यालय के वसूली अनुभाग को प्रेषित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब क्षम्य नहीं होगा।
2. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 प्र0का0/प्रशि0केन्द्र को, कि उक्त सूचनायें अपने मण्डल की वसूली अनुभाग को दि0 09.03.18 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ, को बैंक की शाखाओं को ई0मेल कराने हेतु।
4. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक को, प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

ह0/–
(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)